UPMZ010005752015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी :– गरिमा सिंह–I, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06224

<u>सत्र परीक्षण संख्या :– 191 सन् 2015</u>

उत्तर प्रदेश राज्य...अभियोजन पक्ष

बनाम

1. सुमित पुत्र सोमपाल, निवासी भगवानपुर, थाना–सिखेड़ा, जिला–मुजफ्फरनगर।
2. नीशू पुत्र महन्ती, निवासी मौहल्ला कमलनगर, थाना–नई मण्डी, जिला–मुजफ्फरनगर।

.... अभियुक्तगण,

मुकदमा अपराध सं0–384 सन् 2014,
धारा–307/34 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–छपार, जिला–मुजफ्फरनगर।

एवं

UPMZ010005772015

<u>सत्र परीक्षण संख्या :– 193 सन् 2015</u>

उत्तर प्रदेश राज्य...अभियोजन पक्ष

बनाम

सुमित पुत्र सोमपाल, निवासी भगवानपुर, थाना–सिखेड़ा, जिला–मुजफ्फरनगर।

.... अभियुक्त,

मुकदमा अपराध सं0–386 सन् 2014,
धारा–25 आयुध अधिनियम,
थाना–छपार, जिला–मुजफ्फरनगर।

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.08.26 17:26:40 IST
Reason: Judgment
Location: ASJ 01

एवं

UPMZ010005782015

सत्र परीक्षण संख्या :– 194 सन् 2015

उत्तर प्रदेश राज्य...अभियोजन पक्ष

बनाम

नीशू पुत्र महन्ती, निवासी मौहल्ला कमलनगर, थाना–नई मण्डी, जिला–मुजफ्फरनगर।

.... अभियुक्त,

मुकदमा अपराध सं0–387 सन् 2014,
धारा–25/4 आयुध अधिनियम,
थाना–छपार, जिला–मुजफ्फरनगर।

अधिवक्ता अभियोजन – श्री अरूण कुमार शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी'
अधिवक्ता अभियुक्तगण – श्री धर्मवीर सिंह 'एडवोकेट'

निर्णय

1. पुलिस थाना–छपार द्वारा अभियुक्तगण संदीप, सुमित एवं नीशू के विरूद्ध धारा–307 भा.द.सं. के अर्न्तगत प्रेषित किए गए आरोप–पत्र पर दिनांक 12.11.2014 को, अभियुक्त सुमित के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित किए गए आरोप–पत्र पर दिनांक 17.11.2014 को तथा अभियुक्त नीशू के विरूद्ध धारा–25/4 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित किए गए आरोप–पत्र पर दिनांक 12.11.2014 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा धारा–307 भा.दं.सं. का प्रकरण सत्र परीक्षणीय होने तथा आयुध अधिनियम से संबंधित प्रकरण धारा–307 भा.दं.सं. से संबंधित होने के फलस्वरूप दिनांक 12.02.2015 को सत्र सुपुर्द किए गए, जो सत्र सुपुर्द किए जाने के उपरोक्त दिनांक पर सत्र न्यायालय में प्राप्त होकर क्रमशः

सत्र परीक्षण संख्या–191 सन् 2015, 'उ.प्र. राज्य बनाम सुमित आदि', सत्र परीक्षण संख्या–193 सन् 2015, 'उ.प्र. राज्य बनाम सुमित' सत्र परीक्षण संख्या–194 सन् 2015 'उ.प्र. राज्य बनाम नीशू' के रूप में माननीय सत्र न्यायालय, अन्य न्यायालयों एवं इस न्यायालय में लंबित रहने के पश्चात् पुनः इस न्यायालय में अंतरण के माध्यम से दिनांक 20.12.2025 को प्राप्त हुए।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, वादी मुकदमा अरूण कुमार त्यागी, थानाध्यक्ष द्वारा थाना–छपार पर दिनांक 17.09.2014 को फर्द बरामदगी प्रस्तुत कर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि 17.09.2014 को वादी मुकदमा अरूण कुमार राठी मय हमराही कां0–1206 रजनीश, कां0–1246 लोकेन्द्र, कां0–1693 अमित, कां0–920 नौशाद मय जीप सरकारी यू.पी.12.ए.जी.–0086 कां0/चालक मांगेराम के साथ सुरागरसी, पतारसी में मामूर था। रो0 आम की रपट नं0–32 समय 14.45 बजे रवाना होकर, बिजोपुरा पुलिया आया, मुखबिर खास द्वारा पेट्रोल पम्प लूट करने वाले बदमाशों द्वारा मोटरसाईकिल अपाची पर आने की सूचना दिए जाने पर तभी वहां पर क्राइम ब्रांच में नियुक्त आए कां0 सोनू कुमार व जितेन्द्र त्यागी को मकसद बताकर हमराह लिया गया। समय 16.10 पर छपार की तरफ से सफेद रंग की अपाची मोटरसाईकिल पर आते दिखायी दिए तीन लड़कों की तरफ इशारा करके मुखबिर चला गया। मोटरसाईकिल को हमराह पुलिस बल की मदद से रोकने का प्रयास करने पर पीछे बैठे बदमाश ने पुलिसवालों को जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे हम लोग बाल–बाल बच गए। फील्ड कौशल का परिचय देते हुए तीनों को घेरकर, आवश्यक बल प्रयोग करके रोक लिया। पकड़े जाने पर बदमाशों से नाम पता पूछा, तो एक ने अपना नाम संदीप पुत्र मनीराम निवासी भंडूर थाना सिखेड़ा बताया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा मय नाल में फंसा एक खोखा कारतूस तथा दो अदद जिंदा कातरूस बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम सुमित पुत्र सोमपाल निवासी भगवानपुर थाना सिखेड़ा मुजफ्फरनगर बताया, जिसके बायें सुड्डे से एक तमंचा 315 बोर नाल लोहा 8 अंगुल, बाडी 4 अंगुल, नीचे ट्रैगर ऊपर हैमर लगा है, साईड में लीवर पिन लगी है व 5 अंगुल बाडी व बट के पास तांबे का तार बंधा है, दो कारतूस जिंदा बरामद हुए। तीसरे ने अपना नाम नीशू पुत्र महन्ती निवासी कमलनगर थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर बताया, जिसके पास से एक छुरी लोहा फल करीब 11 अंगुल, बैंटा 4 अंगुल बरामद हुई।

मोटरसाईकिल यू.पी.12ए.एफ.–1446 इंजन नं0–0ई.6बी.ई.2235117, चेसिस नं0–डी.634के.ई.69ई.जेड.डी.32259 सफेद रंग अपाची है, पूछने पर बताया कि मोटरसाईकिल चोरी की है। हम तीनों ने एक माह पहले हरसौली के पास पेट्रोल पम्प से 25 हजार रूपए लूटे थे, लूट के समय यही मोटरसाईकिल मोटरसाईकिल व तमंचे, छुरा थे। सुजडू चुंगी के पास 800 रूपए लूटे थे तथा जानसठ रोड़ पर 4000 रूपए लूटे थे, फिर हम रूड़की चले गए थे। आज आ रहे थे, पकड़े गए। अभियुक्तगण को इनका जुर्म बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद असलाह अलग–अलग अभियुक्तवार कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया, नमूना मोहर लिया गया। गिरफ्तारी मीमो तैयार किए गए। गिरफ्तारी की सूचना थाना आकर दी जाएगी। फर्द मौके पर लिखकर, पढ़कर व सुनाकर गवाही गवाहान बनवायी जाती है।

3. वादी मुकदमा अरूण कुमार त्यागी द्वारा थाना छपार पर प्रस्तुत फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक 17.09.2014 को अभियुक्तगण संदीप, सुमित तथा नीशू के विरूद्ध मु0अ0सं0–384 सन् 2014 धारा–307 भा.दं.सं., अभियुक्त संदीप के विरूद्ध मु0अ0सं0–385 सन् 2014 धारा–25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त सुमित के विरूद्ध मु0अ0सं0–386 सन् 2014 धारा–25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त नीशू के विरूद्ध मु0अ0सं0–387 सन् 2014 धारा–25/4 आयुध अधिनियम के अंतर्गत चिक एफ.आई.आर. किता की गयी, जिसका खुलासा जी.डी. मुकदमा कायमी/नकल रपट संख्या–39 समय 18.15 बजे दिनांक 17.09.2014 में किया गया। प्रकरण में विवेचक द्वारा ग्रहण किए जाने के अनुक्रम में, उनके द्वारा घटनास्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण कर, नक्शानजरी तैयार किया गया एवं गवाहान के बयान अंकित किए गए तथा। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण संदीप, सुमित तथा नीशू के विरूद्ध धारा–307 भा.दं.सं., अभियुक्त सुमित के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त नीशू के विरूद्ध धारा–25/4 आयुध अधिनियम के अंतर्गत पृथक–पृथक रूप से आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किए गए।

4. अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने के उपरांत दिनांक 11.03.2015 को अभियुक्तगण संदीप, सुमित तथा नीशू के विरूद्ध धारा–307 सपठित धारा–34 भा.दं.सं. के अंतर्गत, अभियुक्त सुमित के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त नीशू के विरूद्ध धारा–25/4 आयुध अधिनियम के अंतर्गत

पृथक—पृथक रूप से आरोप विरचित किए गए, जिनको पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

5. पत्रावली में संलग्न आदेश—पत्र दिनांकित 12.06.2017 के अनुसार, अभियुक्त संदीप की पत्रावली प्रश्नगत सत्र परीक्षणीय वाद की पत्रावली से पृथक की गयी। इस प्रकार वर्तमान में अभियुक्त सुमित एवं नीशू के प्रकरणों का विचारण किया जा रहा है।

6. पत्रावली में संलग्न आदेश—पत्र दिनांकित 18.10.2023 के अनुसार, सत्र परीक्षण संख्या—191 सन् 2015, सत्र परीक्षण संख्या—193 सन् 2015 एवं सत्र परीक्षण संख्या—194 सन् 2015 की पत्रावलियों को समेकित कर, उनका विचारण एक साथ किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या—191 सन् 2015 की पत्रावली को लीडिंग/अग्रगामी पत्रावली बनाया गया।

7. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप को न्यायालय में दौरान विचारण साबित करने हेतु निम्न अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया —

क्रम संख्या	गवाह का नाम	विवरण
पी.डब्ल्यू—1	अरूण कुमार त्यागी 'सेवानिवृत्त निरीक्षक'	वादी मुकदमा
पी.डब्ल्यू—2	हैड कां0 रजनीश कुमार	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू—3	राजेन्द्र सिंह 'सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक'	चिक एफ.आई.आर. लेखक
पी.डब्ल्यू—4	हैड कां0—771 लोकेन्द्र कुमार	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू—5	हैड कां0—756 नौशाद	चक्षुदर्शी साक्षी

8. अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है —

क.सं.	प्रस्तुत किए गए प्रपत्र	प्रदर्श	शिनाख्तकर्ता
1	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क—1	पी.डब्ल्यू—1
2	गिरफ्तारी मीमो	प्रदर्श क—2	पी.डब्ल्यू—1
3	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क—3	पी.डब्ल्यू—3
4	जी.डी. मुकदमा कायमी	प्रदर्श क—4	पी.डब्ल्यू—3
5	आरोप—पत्र अंतर्गत धारा—307 भा.दं.सं.	प्रदर्श क—5	पी.डब्ल्यू—5
6	नक्शानजरी	प्रदर्श क—6	पी.डब्ल्यू—5
7	जिला मजिस्ट्रेट अनुमति—पत्र	प्रदर्श क—7	पी.डब्ल्यू—5

	अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम		
8	आरोप–पत्र अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम	प्रदर्श क–8	पी.डब्ल्यू–5
9	आरोप–पत्र अंतर्गत धारा–25/4 आयुध अधिनियम	प्रदर्श क–9	पी.डब्ल्यू–5

9. अभियोजन द्वारा निम्न माल मुकदमा को न्यायालय में दौरान साक्ष्य साबित कराया गया –

क.सं.	साबित की गयी वस्तु	वस्तु प्रदर्श	शिनाख्तकर्ता
1	कपड़ा पुलिंदा बाबत तमंचा व कारतूस	वस्तु प्रदर्श–1	पी.डब्ल्यू–5
2	तमंचा	वस्तु प्रदर्श–2	पी.डब्ल्यू–5
3	कारतूस	वस्तु प्रदर्श–3	पी.डब्ल्यू–5
4	कारतूस	वस्तु प्रदर्श–4	पी.डब्ल्यू–5
5	कपड़ा पुलिंदा बाबत छुरी	वस्तु प्रदर्श–5	पी.डब्ल्यू–5
6	लोहे की छुरी	वस्तु प्रदर्श–6	पी.डब्ल्यू–5

10. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' की ओर से अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में आदेश–पत्र पर किए गए पृष्ठांकन के प्रकाश में अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

11. प्रस्तुत आपराधिक वाद में अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किए जाने पर, अभियुक्तगण ने घटना एवं पी.डब्ल्यू–1 लगायत 5 द्वारा दिए गए बयान को गलत होना कहते हुए, पी.डब्ल्यू–5 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में यह भी कथन किया है कि उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई तथा अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन चलना कहते हुए सफाई साक्ष्य पेश करने से इंकार किया तथा यह भी कथन किया कि वे निर्दोष हैं, फर्जी गिरफ्तारी दिखायी है।

12. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

13. उ.प्र. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि मुखबिर द्वारा पेट्रोल पम्प पर लूट करने वालों बदमाशों के अपाची मोटरसाईकिल पर आने की बाबत दी गयी सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाकर अपाचे मोटरसाईकिल पर आ रहे अभियुक्तों को जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो पीछे बैठे अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से किए गए फायर से वे बाल–बाल बच गए तथा अभियुक्तगण को मौके पर पकड़ने पर उनमें से अभियुक्त सुमित के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए तथा अभियुक्त नीशू के कब्जे से एक अदद छुरी नाजायज बरामद हुई। अभियोजन की ओर से पेश तथ्य के पुलिस साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियेाजन द्वारा अपना मामला साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को दण्डित किया जाए।

14. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान मुख्य रूप से यह अभिकथन किया गया कि पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नीयत से कोई फायरिंग की गयी।अभियुक्तगण सुमित व नीशू से कथित बरामदगी फर्जी दर्शायी गयी है। कथित घटनास्थल हरिद्वार की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग एवं आम जनता के आवागमन के स्थान के निकट स्थित है, परंतु पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी, तलाशी, बरामदगी एवं फर्द बरामदगी की प्रक्रिया में किसी भी जनता के गवाह को सम्मिलित नहीं किया गया है। मौके से कोई खोखा कारतूस बरामद नहीं है तथा किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट आना नहीं पाया गया है। अभियोजन की ओर से पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ की ऐसी कोई रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की गयी है कि अभियुक्त सुमित से कथित बरामद हथियार चालू हालत में ही था। पुलिसकर्मियों की थाने की जी.डी. की रवानगी व नमूना मोहर न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। पुलिस साक्षियों का बयान किसी स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्ट भी नहीं है। अभियोजन की ओर से पेश पुलिस साक्षियों के बयान विश्वसनीय एवं भरोसेमंद नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

15. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण सुमित एवं नीशू के विरूद्ध धारा–307/34 भां.दं.सं., अभियुक्त सुमित के विरूद्ध धारा–25

आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त नीशू के विरूद्ध धारा–25/4 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं।

16. उभयपक्ष के उपरोक्त तर्को के आलोक में अब यह देखा जाना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है, अथवा नहीं।

निष्कर्ष

17. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 17.09.2014 को समय करीब 16.10 बजे स्थान ग्राम बिजोपुरा पुलिया के पास, अंतर्गत थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर में अभियुक्तगण ने जान से मारने की नीयत से पुलिसपाटी पर देशी तमंचे से फायर किए तथा अभियुक्त सुमित के कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर तथा दो अदद जिंदा कारतूस तथा अभियुक्त नीशू के कब्जे से एक अदद नाजायज छुरी बरामद हुए।

अभियोजन साक्षीगण द्वारा दी गयी साक्ष्य की समीक्षा

18. अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–1** के रूप में परीक्षित कराए गए अरूण कुमार त्यागी 'सेवानिवृत्त निरीक्षक' ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि, ''दिनांक 17.09.2014 को मैं थानाध्यक्ष थाना छपार के पद पर नियुक्त था। उस दिन मैं रोजनामचा रपट नं0 32 समय 14:45 बजे मय हमराही कां0 रजनीश, कां0 लोकेन्द्र, कां0 अमित व नौशाद मय जीप सरकारी व चालक मांगेराम के साथ सुरागरसी पतारसी में मामूर था, समय करीब 16:10 बजे बिजोपुरा पुलिया पर आया, तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि पैट्रोल पंप लूटने वाले अभियुक्त मोटरसाइकिल से छपार की तरफ से आ रहे हैं, तभी मोटरसाइकिल सफेद रंग की अपाचे पर तीन लड़के आते दिखाई दिये, मुखबिर इशारा करके चला गया। बदमाशों को रुकने का इशारा किया, जिस पर पीछे बैठे बदमाश ने तमंचे से हम पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे हम बाल–बाल बच गये। फिल्ड़ कौशल का प्रयोग करते हुए घेर घोटकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए, तीनों को पकड़ लिया और उनके नाम पूछे तो एक ने अपना नाम संदीप पुत्र मनीराम निवासी भंडूर थाना सिखेड़ा जनपद मु0नगर बताया, जामा तलाशी पर अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर जिसकी नाल खोलकर देखा, तो उसमें एक खोखा कारतूस 315 बोर फंसा हुआ ताजा बारुद की गंध आ

रही थी, बरामद हुआ। पहनी पैंट की जेब से दो कारतूस जिंदा बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम संदीप पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम भगवानपुर थाना सिखेड़ा, मु0नगर बताया, जिसके बांए सुड्डे से एक तमंचा 315 बोर तथा दो कारतूस जिंदा बरामद हुए। तीसरे ने अपना नाम नीशू पुत्र महती निवासी कमल नगर थाना नई मण्ड़ी, मु0नगर बताया, जिसके कब्जे से एक छुरी बरामद हुई। मोटरसाईकिल यू.पी. 12एपी 1446 इंजन नं0 0ईएसपीई2275117 और चैसिस नं0 डी534केई69ईजैडडी 32259 सफेद रंग अपाचे बरामद हुई, जिसके बारे में पूछने पर बताया कि मोटरसाईकिल चोरी की है। अभियुक्तगण ने बताया कि एक माह पहले हरसौली के पैट्रोल पंप से 25,000/— रुपए लूटे थे, जिसमें इसी बाईक का प्रयोग किया गया था। उसके बाद सुजडू चुंगी के पास से 800/— रुपए तथा जानसठ रोड से 4,000/— लूटे थे। उसके बाद हम रुड़की चले गये थे। आज रुड़की से वापस आ रहे थे, पकड़े गये। अभियुक्तगण को उनका जुर्म बताकर हिरासत पुलिस लिया गया। अभि0गण के कब्जे से बरामद असलाह को अभियुक्तवार अलग—अलग कपडे में रखकर सील—सर्वे मोहर किया गया, नमूना मोहर बनाया गया। गिरफ्तार मैंमों तैयार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना थाने जाकर दी जायेगी। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान कराई जाती है। गवाह ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में पत्रावली के कागज संख्या 5क मूल रूप में मौजूद फर्द को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में प्रमाणित करना कहते हुए, उक्त फर्द को **प्रदर्श क—1** के रूप में साबित किया है। फर्द के आधार पर थाने जाकर मु0अ0सं0—384/14 व 387/14 अन्तर्गत धारा 307 आई.पी.सी. व 25 आर्म्स एक्ट तथा अ0सं0 निल/14 अन्तर्गत धारा 41/102 व 411 आई.पी.सी. पंजीकृत कराया गया। गवाह ने मूल चिक पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4क है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसे एच.एम. राजेन्द्र सिंह द्वारा किता किया गया था। गवाह ने पत्रावली के कागज संख्या 11क के रूप में पर मौजूद गिरफ्तारी मीमो अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर होना कहते हुए इसे **प्रदर्श क—2** के रूप में साबित किया है।''

19. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी.डब्ल्यू—1 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''दिनांक 17.09.2014 को मैं थाने से 2 बजे के करीब रवाना हुआ था। मैं जी.डी. में रवानगी करने के बाद चला था। .... मैंने रवानगी जी.डी. में यह इन्द्राज किया था कि मैं किस मुकदमे में व किस मुलजिम की

सुरागरसी पतारसी में रवानगी किया था, अगर रवानगी जी.डी. में यह बात नहीं लिखी, तो में इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। थाने से रवाना होकर मैं पुलिस बल के साथ कहां–कहां गया था, मैं इस समय नहीं बता सकता। बिजोपुरा पुलिया पर लगभग 4.00 बजे पहुंचे थे, बिजोपुरा पुलिया थाने से लगभग 3–4 किमी0 की दूरी पर है। बिजोपुरा पुलिया थाने से मुजफ्फरनगर की ओर है। .... पुलिया पर हम लगभग 1.5 घण्टे रूके थे। पुलिया पर हमें मुखबिर व क्राईम ब्रांच के दो सिपाही जितेन्द्र व सोनू कुमार भी मिले थे, फिर हमारे साथ रहे। पहले हमें मुखबिर ही मिला था। .... मुखबिर ने बाईक का नम्बर नहीं बताया था, केवल अपाची अपाचे बाईक बतायी थी। मुखबिर ने मुझे मुलजिमान के नाम नहीं बताए थे। .... यह कहना सही है कि रूड़की रोड़ एन.एच. है, इस पर अत्यधिक वाहन चलते हैं और पैदल व साईकिलों पे भी काफी आदमी चलते हैं, जिस समय मुलजिमान को पकड़ा था, उस समय वाहन व पैदल भी लोग आ–जा रहे थे। .... घटनास्थल से कोई खोखा नहीं मिला था, तलाश किया था, कोई खोखा नहीं मिला था। फायर करने के बाद मुलजिमान ने अपनी बाईक रोक दी थी। फायर दो मुलजिमों ने किए थे, संदीप व सुमित ने फायर किए थे। .... यह कहना भी सही है कि मैं मुलजिमान द्वारा 02 फायर पुलिस बल पर करने वाली बात आज पहली बार न्यायालय में बता रहा हूॅं। यह कहना भी सही है कि मुलजिमान द्वारा पुलिसपार्टी पर फायर करने वाली बात फर्द बरामदगी में नहीं लिखी है। .... अभियुक्त सुमित के सुड्डे से कोई कट्टा बरामद नहीं हुआ था, यदि दरोगा जी ने मेरे बयान में सुमित के सुड्डे से कट्टा बरामद होना लिखा है, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। संदीप मुलजिम के किस हाथ में कट्टा बरामद हुआ था, इस बात का कोई उल्लेख मैंने फर्द बरामदगी में नहीं किया था, क्यों नहीं किया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता, न ही दरोगा जी को मैंने अपने बयान में बताया था। अभियुक्त सुमित से कारतूस कहां से बरामद हुए थे, यह मैं नहीं बता सकता। इस बात का उल्लेख मैंने फर्द बरामदगी में नहीं किया है। .... अभियक्त नीशू से चाकू बरामदकिया था, जो कि दो बालिस्त के आसपास था। .... अभियुक्त नीशू से चाकू हाथ से बरामद हुआ था या जेब से बरामद हुआ था, मेरे याद नहीं है। .... दोनों बरामद कट्टे 315 बोर के थे। चकाू का बैंटा एल्यूमीनियम का था और फल लोहे का था, यह चाकू खटके वाला था। .... फर्द मैंने दो प्रतियों में तैयार की थी। फर्द की एक नकल

अभियुक्तगण को दी गयी थी, किस अभियुक्त को दी थी। आज मैं नहीं बता सकता कि किस अभियुक्त को दी थी। यह बात सही है कि फर्द बरामदगी में मैंने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है। फर्द मैंने दो प्रतियों में तैयार की थी, यह बात मैंने दरोगा जी को अपने बयान में नहीं बतायी थी, क्यों नहीं बतायी थी, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता।''

20. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू—2** के रूप में परीक्षित कराए गए एच. सी. रजनीश कुमार ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि, ''दिनांक 17.09.2014 को मैं थाना छपार पर एस0ओ0 अरुण कुमार त्यागी के साथ बतौर हमराह कां0 तैनात था तथा कां0 लोकेन्द्र व कां0 अमित व कां0 नौशाद भी हमराह के रूप में एस.ओ. साहब के साथ तैनात थे। हम सभी पुलिस वाले जीप सरकारी यू.पी. 12एजी 0086 के चालक मांगेराम के साथ एस0ओ0 साहब के हमराही के रूप में सुरागरसी व पतारसी में मामूर थे और थाने से रपट नम्बर 32 समय 14:45 बजे जब हम पुलिस वाले रवाना होकर बिजोपुरा पुलिया पर पहुंचे थे, तो मुखबिर खास ने एस.ओ. साहब के सामने हमारे समक्ष सूचना दी थी कि पैट्रोल पम्प लूट करने वाले बदमाश मोटरसाइकिल अपाचे से आ रहे हैं, तभी क्राईम ब्रान्च में नियुक्त कां0 सोनू कुमार व जितेन्द्र त्यागी भी आ गये, इन्हें मकसद बताकर मय हमराह लेकर समय 16:10 पी.एम. पर छपार की तरफ से 03 लड़के सफेद रंग की अपाचे मोटरसाईकिल पर आते दिखाई दिये, जिन्हें मुखबिर ने इशारा करके बताया और वहां से पीछे को मुड़कर चला गया। हम पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया, तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाशों ने हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किये। हम लोगों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए तीनों बदमाशों को घेर घोटकर आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ लिया। पकड़े गये बदमाशों से उनका नाम पता पूछते हुए उनकी जामा तलाशी ली गयी तो पहले पकड़े बदमाश ने अपना नाम सन्दीप पुत्र मनीराम निवासी भण्डूर थाना सिखेड़ा जिसके हाथ से एक तमंचा 315 बोर का फर्द मुताबिक बरामद हुआ था। पहनी पैन्ट की जेब से 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए थे। बरामद तमंचा 315 बोर की नाल को खोलकर देखा तो उसमें एक खोखा कारतूस फंसा हुआ था, जिसमें से ताजा चले बारुद की गंध आ रही थी। दूसरे पकड़े गये बदमाश ने अपना नाम सुमित पुत्र सोमपाल निवासी भगवानपुर थाना सिखेड़ा जिला मु0नगर बताया था, जिसकी जामा तलाशी से उसके सुड्डे

से एक तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ था, जिसका हुलिया मुताबिक फर्द बरामदगी है। तीसरे पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम नीशू पुत्र महन्ती निवासी कमलनगर थाना नई मण्डी जिला मु0नगर बताया था, जिसके पास से एक छुरी लोहे की हुलिया फर्द बरामदगी, बरामद हुई थी। अपाचे मोटरसाईकिल यू.पी. 12ए.एफ. 1446 जिसका इंजन व चैसिस नं0 फर्द में अंकित है जो सफेद रंग की है। उसके बारे में पकड़े गए तीनों बदमाशों ने पूछने पर बताया था कि हमने उक्त मोटरसाईकिल एक माह पहले हरसौली के पैट्रोल पम्प के पास 25 हजार रुपये के साथ लूटी थी। उक्त मोटरसाईकिल चोरी की है। सूजडू चुंगी से 800/– रुपये व जानसठ रोड़ से 4,000/– रुपये लूटे थे, फिर हम रुड़की चले गये थे। आज वहीं से वापस आ रहे थे कि पकड़े गये। अभियुक्तगण को उनकी गिरफ्तारी का कारण बताकर उनसे बरामद असलाह को अलग–अलग कपड़ों में रखकर सील सर्वे मोहर कर सीलबन्द किया गया था तथा गिरफ्तारी मीमों मौके पर तैयार किया गया था। गिरफ्तारी की सूचना थाने पर जाकर दी गयी थी। फर्द मौके पर अरुण त्यगाी ने लिखकर पढ़कर सुनाकर हम हमराहीयान के गवाही हेतु हस्ताक्षर करवाये गये थे। फर्द की नकल अलग–अलग अभियुक्तों को देकर उनके हस्ताक्षर फर्द पर करवाये गये थे। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 5क फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 को देखकर अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त की।''

21. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू–2 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''यह घटना किस दिनांक व माह की है, याद नहीं है, वर्ष 2014 की है। हम थाने से लगभग 4.00–4.30 बजे चले थे। हम थाने से रवानगी करके चले थे। .... हम थाने से चलकर सीधे बिजोपुरा पुलिया पर पहुंचे थे। बीच में कहीं नहीं रूके थे। थाने से बिजोपुरा पुलिया करीब 3.00–3.50 किमी0 दूर है। हम बिजोपुरा पुलिया पर 5.00 बजे पहुंचे या 5.30 बजे पहुंचे, टाईम नहीं बता सकता। 15–20 मिनट में पहुंच गए थे। बिजोपुरा पुलिया पर हम 15–20 मिनट रूके थे। .... बिजोपुरा पुलिया से हम पुलिसवाले थाना छपार की ओर गए थे, वह व्यक्ति भी हमारे साथ था। .... गाड़ी रोकने के करीब 20 मिनट बाद एस.ओ. साहब ने हम तीनों हमराह को बताया था कि एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाईकिल पर तीन आदमी आ रहे हैं। इसके अलावा ओर कुछ नहीं बताया था। .... लगभग 3.50–6.00 बजे रूड़की की तरफ से तीन आदमी बाईक पर आए। हमने इनको रोक लिया था तथा रोककर तलाशी ली थी। मैं नहीं

बता सकता कि तीनों अभियुक्तों में से किसके पास से कट्टा बरामद हुआ था, किसके पास से चाकू बरामद, मुझे जानकारी नहीं है। घटनास्थल पर कोई फायर नहीं हुआ था। मौके पर लिखापढ़ी हुई थी। मैंने व अन्य सभी कर्मचारीगण ने फर्द पर हस्ताक्षर किए थे। .... थाने पर किस अभियुक्त को फर्द की नकल दी थी, मुझे नहीं पता। फर्द की नकल मेरे सामने नहीं दी थी।''

22. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–4** के रूप में परीक्षित कराए गए है0कां0 771 लोकेन्द्र कुमार ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि, ''दिनांक 17.09.2014 को मैं थाना छपार पर बतौर कां0 तैनात था। उपरोक्त दिनांक को थाना छपार पर एस.ओ. अरुण कुमार त्यागी व कां0 नौशाद तथा कां0 चालक मांगेराम भी थाना छपार पर तैनात थे। हम सभी हमराह पुलिस कर्मचारीगण जीप सरकारी यू.पी. 12एजी 0086 से एस.ओ. साहब अरुण कुमार त्यागी के साथ थाना छपार से सुरागरसी–पतारसी में मामूर होकर रपट नम्बर 32 पर समय 14:45 बजे थाना छपार से रवाना होकर जब हम पुलिस वाले बिजोपुर पुलिया पर जीप सरकारी से पहुंचे थे, तो मुखबिर खास ने आकर सूचना दी थी कि पैट्रोल पम्प की लूट करने वाले बदमाश मोटरसाईकिल अपाचे पर आ रहे हैं, इसी बीच क्राईम ब्रांच में तैनात कांस्टेबिलगण सोनू कुमार व जितेन्द्र त्यागी भी वहां पर आ गये थे, उनको एस.ओ. साहब ने मकसद बताकर हमराह लिया। समय 16:10 पी.एम. पर छपार की तरफ से तीन लड़के सफेद अपाचे रंग की मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिये, उनकी ओर मुखबिर इशारा करके पीछे की ओर मुड़कर चला गया। मोटरसाइकिल को हम पुलिस वालों ने रोकने का प्रयास किया, तो पीछे बैठे बदमाश ने हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे हम पुलिस वाले बाल–बाल बच गये। हम पुलिस वालों ने अदम्य साहस दिखाते हुए मोटर साईकिल पर बैठे तीनों व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उन्हें रोककर पकड़ लिया। पकड़े गये तीनों लोागें से नाम पता पूछते हुए उनकी जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम संदीप पुत्र मनीराम निवासी भन्डूर थाना सिखेड़ा बताया, जिसके कब्जे से यानि उसके हाथ से एक तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ, जिसका हुलिया फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के अनुसार है। बरामदा तमंचा की नाल में खोखा फंसा हुआ था और ताजे चले बारूद की गंध आ रही थी। संदीप की पहनी पैन्ट की जेब से 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर के बरामद हुए थे। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुमित पुत्र

सोमपाल निवासी भगवानपुर थाना सिखेड़ा, जिला मु0नगर बताया, जिसके दांये सुड्डे से एक तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ था, जिसका हुलिया मुताबिक फर्द बरामदगी है तथा दो जिन्दा कारतूस भी बरामद हुए थे। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम नीशू पुत्र मेहन्ती निवासी कमलनगर थाना नई मण्ड़ी जिला मु0नगर बताया था, जिसके पास से एक लोहे की छुरी बरामद हुई थी, जिसका हुलिया मुताबिक फर्द बरामदगी है। बरामदा मोटरसाईकिल का नम्बर यू.पी. 12ए.एफ 1446 अंकित था और इंजन नं0 0ई6डीई2275117 तथा चैसिस नं0 एमडी634केई69ई24डी32259 सफेद रंग की अपाचे थी। मोटरसाइकिल के बारे में पकड़े गये तीनों व्यक्तियों ने पूछने पर बताया कि साहब एक माह पहले हम तीनों ने पैट्रोल पम्प हरसौली से पच्चीस हमार रुपये लूटे थे और घटना के समय हमने इस अपाचे मोटरसाईकिल का व जो तमंचे व छुरी हम तीनों से आपने लिया है, उनका भी प्रयोग हमने घटना में किया था तथा जानसठ रोड़ पर भी हमने चार हजार रुपये लूटे थे तथा फिर हम रुड़की चले गये थे तथा आज हम तीनों लोग अपाचे मोटरसाइकिल से वापिस आ रहे थे। पकड़े गये तीनों अभियुक्तों को उनका जुर्म बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया था। बरामद असलहा को अलग–अलग कर अभियुक्तानुसार एक कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर कर सील करते हुए नमूना मोहर लिया गया था तथा इस संबंध में फर्द बरामदगी तैयार की गयी थी तथा गिरफ्तारी प्रपत्र भी मौके पर तैयार किया गया था। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की सूचना थाने पर जाकर उचित माध्यम से दी गयी थी। फर्द एस.ओ. साहब ने स्वयं मौके पर लिखकर फर्द पर हम कर्मचारीगण के हस्ताक्षर गवाही के फर्द पर करवाये थे। फर्दों की नकल अलग–अलग अभियुक्तगण को देकर उनके हस्ताक्षर फर्द पर करवाये थे। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 5क फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 को देखकर फर्द पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की।''

23. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू–4 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''........ हम थाने से 14 बजकर 45 मिनट पर रवाना हुए थे। .... थाने से चलने के बाद हम लोग कहां–कहां रूके थे, मेरे याद नहीं है। थाने से चलने के बाद हमने गाड़ी आखिर में कहां रोकी थी, मैं नहीं बता सकता। बीच में भी गाड़ी कहां–कहां रोकी थी, मेरे याद नहीं है। मुखबिर द्वारा सूचना एस.ओ. साहब को दी गयी होगी। मेरे सामने कोई मुखबिर नहीं आया था। घटनास्थल पर एक व्यक्ति आया था, जो एस.ओ. साहब से मिला था, उससे एस.ओ. साहब की

बातचीत हुई थी। .... यह सही है कि फर्द बरामदगी में रूड़की की तरफ से बदमाशों के आने की बात नहीं लिखी है। मेरा दरोगा जी ने कोई बयान नहीं लिया था। घटनास्थल पर हम घटना होने से करीब एक–डेढ़ घण्टा पहले पहुंचे थे। .... बदमाशों द्वारा 7–8 कदम की दूरी से फायर किया गया था। बाईक पर चलते–चलते फायर किया था, रूके नहीं थे। बाईक पुलिया पर आकर रोकी थी और हम पुलिसवालों ने बदमाशों को घेर–घोटकर पकड़ लिया था। मुलजिमों ने पुलिया से भागने का प्रयास अलग–अलग दिशा में किया था। मुलजिमान खेतों की तरफ भाग रहे थे। .... भागते हुए मुलजिमान को घटनास्थल से कितनी दूरी पर गिरफ्तार किया, मुझे जानकारी नहीं है। कौन–सा मुलजिम बाईक चला रहा था, कोन पीछे बैठा था और कौन–सा बीच में बैठा था, मैं नहीं बता सकता। .... अभियुक्त सुमित से 02 कारतूस बरामद हुए थे, पैंट की जेब से बरामद हुए थे। .... नीशू मुलजिम से चाकू बरामद हुआ था। चाकू का नाप क्या था, मैं नहीं कह सकता। चाकू खटके वाला था या सादा था, मुझे नहीं पता। फर्द कितनी प्रतियों में तैयार की गयी, मेरे याद नहीं है। .... फर्द की नकल मुलजिमों को दी गयी थी या नहीं, मेरे याद नहीं है, परंतु संयुक्त रूप से दी गयी थी।''

24. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–5** के रूप में परीक्षित कराए गए है0 कां0 756 नौशाद ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि, ''दिनांक 17.09.2014 को मैं थाना छपार पर बतौर कां0 तैनात था। उपरोक्त दिनांक को थाना छपार पर एस.ओ. अरुण त्यागी व है0कां0 771 लोकेन्द्र कुमार व कां0 चालक मांगेराम भी थाना छपार पर तैनात थे। हम सभी पुलिस वाले जीप सरकारी यू.पी. 12एजी 0086 से थाना छपार से सुरागरसी पतारसी में मामूर होकर रपट नं0 32 पर समय 14:45 बजे थाना छपार से रवाना होकर जब बिजोपुरा पुलिया के पास पहुंचे तो मुखबिर ने आकर सूचना दी कि पैट्रोल पम्प की लूट करने वाले बदमाश मोटरसाइकिल अपाचे पर आ रहे हैं। उक्त साक्षी ने अपने बयान दिनांकित 05.09.2025 में कथन किया गया है कि क्राईम ब्रान्च में तैनात कां0 सोनू कुमार व कां0 जितेन्द्र त्यागी भी उसी समय वहां आ गये थे। उन्हें मकसद बताकर हमराह लिया गया। समय 16:10 पी.एम. पर छपार की तरफ से एक अपाचे मोटरसाईकिल पर तीन लड़के आते दिखाई दिये, जिन्हें रोकने का प्रयास किया तो पीछे बैठे बदमाश ने हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें हम पुलिस वाले बाल–बाल बचे। आवश्यक बल

प्रयोग करते हुए तीनों बदमाशों को पकड़ लिया और नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी। एक ने अपना नाम संदीप पुत्र मनीराम निवासी ग्राम भंडूर थाना सिखेड़ा जिला मु0नगर बताया, जिसके हाथ में पकडा एक तमन्चा 315 बोर जिसकी नाल में खोखा कारतूस फंसा था। नाल को सूंघने से ताजा चले बारूद की बू आ रही थी। उसकी पहनी पैन्ट की जेब से दो कारतूस 315 बोर बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम सुमित पुत्र सोमपाल निवासी भगवानपुर थाना सिखेड़ा जिला मु0नगर बताया। उसके बांये सुड्डे से एक तमन्चा 315 बोर व 02 कारतूस जिन्दा बरामद हुए। तीसरे ने अपना नाम नीशू पुत्र मेहन्ती निवासी कमलनगर थाना नई मण्ड़ी जिला मु0नगर बताया। उसके पास से एक छुरी लोहे की बरामद हुई। मोटरसाइकिल यू.पी. 12ए.एफ. 1446 अपाचे सफेद रंग के बारे में पूछने पर बताया कि यह मोटरसाईकिल चोरी की है और एक माह पहले हम तीनों ने हरसौली के पास एक पैट्रोल पम्प से पच्चीस हजार रुपये लूटे थे। उस लूट के समय भी हमारे पास यही मोटरसाईकिल थी और छुरे व तमंचे भी थे। सूजडू चुंगी के पास से हमने 800/– रुपए लूटे थे और जानसठ रोड़ पर हमने चार हजार रुपए लूटे थे। फिर हम रुड़की चले गये थे और आज रुड़की से वापिस आ रहे थे कि आपने पकड़ लिया। अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस में लिया गया था और उनसे बरामद असलहा तमंचे कारतूस व छुरी को अलग–अलग कपड़े में सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था और मौके पर ही एस.ओ. अरुण कुमार त्यागी द्वारा गिरफ्तारी मैमो व फर्द लिख पढ़कर तैयार की गयी थी और हम हमराहीयान को पढ़कर सुनाकर गवाही हेतु फर्द पर हमारे हस्ताक्षर कराये गये थे। फर्द पर मुलजिमान के भी दस्तखत कराये गये। मूल फर्द पत्रावली पर आज मेरे सामने कागज संख्या 5 मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, शिनाख्त करता हूं। इस पर पहले से प्रदर्श क–1 गिरा हुआ है (डाला जा चुका है)। न्यायालय के समक्ष एक सीलबन्द पुलिन्दा प्रस्तुत किया गया, जिस पर मु0अ0सं0 386/14 एक पुलिन्दा मय एक अदद तमंचा 315 बोर एक कारतूस 315 बोर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुमित थाना छपार लिखा है। इसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया, जिसके अन्दर से एक तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर निकले। गवाह ने कपड़ा पुलिन्दे को **वस्तु प्रदर्श–1**, तमन्चे को **वस्तु प्रदर्श–2** तथा दोनों कारतूसों को **वस्तु प्रदर्श–3** व **वस्तु प्रदर्श–4** के रूप में साबित किया है। न्यायालय के समक्ष दूसरा सीलबन्द पुलिन्दा जिस पर एक

पुलिन्दा सर्वे मोहर महमूला एक अदद छुरी मु0अ0सं0 387/14 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट बनाम नीशू पुत्र मेहन्ती निवासी कमलनगर थाना नई मण्डी लिखा है तथा अ0सं0 387/14 बनाम नीशू की चिट लगी है, इबादत चिट पर हरे रंग स्कैच पैन से लिखी है, प्रस्तुत किया गया। इस पुलिन्दे को न्यायालय की अनुमति से खोला गया। इस पुलिन्दे के अन्दर से एक लोहे की छुरी निकली। गवाह ने कपड़ा पुलिन्दे को **वस्तु प्रदर्श–5** व लोहे की छुरी को **वस्तु प्रदर्श–6** के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी ने अपने बयान दिनांकित 16.06.2026 में कथन किया है कि इस मुकदमें की विवेचना श्री सन्तोष कुमार गौतम एस.एस.आई. द्वारा की गयी थी। सन्तोष कुमार गौतम जी की अब मृत्यु हो चुकी है, वह जीवित नहीं है। मैं उनके साथ तैनात रहा हूं, इसलिए मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है, इसलिए मैं उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूं। गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या–3क के रूप में संलग्न आरोप पत्र को एस.एस.आई. सन्तोष गौतम के लेख व हस्ताक्षर में होने की शिनाख्त करते हुए आरोप पत्र को **प्रदर्श क–5** के रूप में तथा पत्रावली पर कागज संख्या–13क के रूप में संलग्न नक्शानजरी को भी एस.एस.आई. सन्तोष गौतम के लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए नक्शानजरी को **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया है। गवाह ने एस.टी. नम्बर 193/15 सरकार बनाम सुमित धारा 25 आर्म्स एक्ट की पत्रावली पर कागज संख्या 12क के रूप में संलग्न डी.एम. अनुमति पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री कौशल राज शर्मा के लघु हस्ताक्षर अंकित होना तथा मुकदमा चलाने की यह डी.एम. अनुमति एस.एस.आई. सन्तोष कुमार द्वारा लिए जाने की शिनाख्त करना कहते हुए, डी.एम. अनुमति को **प्रदर्श क–7** के रूप में साबित किया है। गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या–3क के रूप में संलग्न आरोप पत्र को एस.एस.आई. सन्तोष कुमार गौतम के लेख व हस्ताक्षर में होने की शिनाख्त करना कहते हुए उक्त आरोप–पत्र को **प्रदर्श क–8** के रूप में साबित किया है। एस.टी. नम्बर 194/15 सरकार प्रति नीशू धारा 25/4 आर्म्स एक्ट की पत्रावली पर कागज संख्या 3क के रूप में संलग्न आरोप पत्र को एस.एस.आई. श्री सन्तोष कुमार गौतम के लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए उक्त आरोप–पत्र को **प्रदर्श क–9** के रूप में साबित किया है।

25. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू–5 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''यह कहना सही है कि पुलिंदा कपड़ा पर कहीं पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। यह कहना भी सही है कि कपड़ा पुलिंदा पर नीशू अभियुक्त के

हस्ताक्षर भी नहीं हैं। यह कहना सही हे कि पुलिंदा छुरी पर अभियुक्त संदीप के हस्ताक्षर हैं। पुलिंदा तमंचा पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं, यह कहना सही है। यह कहना भी सही है कि पुलिंदा तमंचा पर किसी भी अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह कहना सही हे कि तमंचा अभियुक्त सुमित से बरामद होना बताया है, किन्तु पुलिंदा पर सुमित के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह कहना सही है कि एक कारतूस मिस फायर है। मैं नहीं कह सकता कि कौन सी जेब से बरामद हुआ था। कट्टा पैंट के सुड्डे से बरामद हुआ था। घटनास्थल पर एक फायर हुआ था। फायर किसके द्वारा किया गया, मुझे नहीं पता। .... थाने से चलने के बाद हम सीधे बिजोपुरा पुलिया पर पहुंचे थे, बीच में कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी थी। थाने से रवानगी हमने 14.45 बजे की थी। थाने से बिजोपुरा पुलिया करीब 3.00–3.50 किमी0 दूर है। पुलिया पर किस समय पहुंचे, समय याद नहीं है। यह याद नहीं है कि हमने गाड़ी किस दिशा में रोकी थी, परंतु अपनी साईड में रोकी थी। गाड़ी हमने पुलिया पर इसलिए रोकी थी, क्योंकि एस.ओ. साहब का फोन आया था, किसका फोन आया था और फोन वाले की एस.ओ. साहब से क्या बात हुई थी, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। फोन मुखबिर द्वारा एस.ओ. साहब को किया गया था। मुखबिर द्वाराफोन कहां से किया गया था, मुझे नहीं पता। मुखबिर की सूचनामिलनेके बाद ही एस.ओ. साहब ने गाड़ी रूकवाई थी। .... मुखबिर आनेके बाद पुलिया (बिजोपुरा) पर करीब डेढ़ घण्टा रूका था। मुखबिर की पुलिया पर किसी से क्या बात हुई थी, मुझे नहीं पता। बात हुई भी थी या नहीं, मुझे नहीं पता। पुलिया पर हम पुलिसवालों ने कोई चैकिंग आदि नहीं की थी। .... मुखबिर ने गाड़ी के आधा किमी0 चलने के बाद गाड़ी रूकवाई थी। गाड़ी चलते समय ही मुखबिर ने बताया था कि सामने से जो मोटरसाईकिल आरही है, उसी पर वे लोग हैं, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। मोटरसाईकिल सामने आते ही हमने अपनी गाड़ी रोक दी थी। मुलजिमान तभी हमारे पास आ गए थे। हमारे द्वारा इशारा करने पर उन्होंने मोटरसाईकिल रोक दी थी। मुलजिमान ने मोटरसाईकिल से उतरकर भागना शुरू कर दिया था। तीनों मुलजिमान किस तरफ भागे थे, मैं नहीं बता सकता। अलग–अलग भागे थे, एक साथ भागे, मैं यह भी नहीं आज नहीं बता सकता। मुलजिमान सड़क से भाग या खेतों से भागे, मेरे याद नहीं है। मुलजिमान को हमने 100 मी0 की दूरी पर पकड़ लिया था। .... तीनों मुलजिमान एक साथ भागे थे। मुलजिमान सड़क की ओर भागे थे। ....

कौन—सा मुलजिम मोटरसाईकिल चला रहा था, पता नहीं। बीच में कौन बैठा था और पीछे कौन बैठा था, पता नहीं। .... जब हम मुलजिमान को पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे, तो पब्लिक का कोई आदमी हमारे साथ नहीं आया था, न ही पब्लिक के व्यकित ने हमारी कोई मदद, मुलजिमान को पकड़ने में की थी। जब हम मुलजिमों को पकड़ने उनके पीछे भागे थे, तो उस वक्त मेरे पास कोई असलाह नहीं था। .... मुलजिमान को जब रोकने की कोशिश की गयी, तब उन्होंने पुलिसपार्टी पर फायर किया था। किस मुलजिम ने फायर किया था, मैं आज नहीं बता सकता। .... मुलजिमों को हमने सड़क पर ही 100 मी0 के फासले पर पकड़ लिया था। .... तीसरे पर चकू था, चाकू में बैंटा कितने इंच का था, नहीं बता सकता। .... चाकू खटके वाला नहीं था, बिना खटके का था। .... तमंचे, चाकू व कारतूस पुलिया पर सील नहीं किए थे। घटनास्थल पर सील किए थे। .... फर्द दरोगा जी ने चार प्रतियों में तैयार की थी, तीनों अभियुक्तगण को अलग—अलग फर्द की प्रति प्राप्त करायी गयी थी। यह कहना सही है कि फर्द बरामदगी में कहीं पर भी यह अंकित नहीं है कि फर्द चार प्रतियों में तैयार की गयी हो। .... नक्शानजरी मेरे सामने तैयार नहीं हुआ है, न ही आरोप—पत्र मेरे सामने तैयार हुए हैं। डी.एम. अनुमति हेतु 25 आर्म्स एक्ट में स्वीकृति डी.एम. से दरोगा जी ने मेरे सामने नहीं ली है। मुझे जानकारी नहीं है कि डी.एम. अनुमति के लिए कोई प्रार्थनापत्र दरोगा जी ने डी.एम. साहब के यहां दिया था या नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं दरोगा जी संतोष गौतम का हस्तलेख न पहचानता हूँ। .... मेरे सामने दरोगा जी ने किसी का कोई बयान नहीं लिया।''

26. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू—3** के रूप में परीक्षित कराए गए राजेन्द्र सिंह 'सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक' ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि, ''दिनांक 17.09.2014 को मैं थाना छपार पर बतौर हैड कांस्टेबल तैनात था। उपरोक्त दिनांक को मेरी ड्यूटी थाने के कार्यलेख पर थी। वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना छपार श्री अरूण कुमार त्यागी द्वारा दाखिल फर्द बरामदगी प्रदर्श क—1 के आधार पर मेरे द्वारा मु०अ०सं० 384/14 धारा 307 आई०पी०सी० बनाम संदीप, सुमित, नीशू व मु०अ०सं० 385/14 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम संदीप व मु०अ०स० 386/14 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम सुमित व मु०अ०सं० 387/14 धारा 25/4 आयुध अधिनियम बनाम नीशू व

मु०अ०सं० निल/14 धारा 41/102 सी०आर०पी०सी० व 411 आई०पी०सी० बनाम संदीप आदि की चिक संख्या 171/14 मेरे द्वारा पंजीकृत करते हुए किता की गयी थीं गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या 4ख के रूप में को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तथा इस पर अपना पदनाम अंकित होना कहते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट को **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है। उपरोक्त सभी मुकदमों का खुलासा कायमी के रूप में मेरे द्वारा दिनांक 17. 09.2014 को समय 18.15 बजे रपट संख्या 39 पर किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 7क के रूप में संलग्न उक्त की कार्बन प्रति को असल जी०डी० तैयार करते समय स्वयं द्वारा कार्बन लगाकर एक ही प्रोसिस में तैयार किया जाना, इसे अपने लेख व हस्ताक्षर में असल जी०डी० नंबर 39 की हूबहू कार्बन प्रति होना कहते हुए इसे **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है।''

27. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू–3 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''मुकदमा कायमी की मूल जी0डी0 आज उपलब्ध नहीं है। दिनांक 17.09.2014 को मेरी ड्यूटी कार्यालय में सुबह प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक थी। यह कहना सही है कि दिनांक 17.09.2014 का चार्ट पत्रावली पर का नक्शानजरी आज मेरे पास उपलब्ध नहीं है, क्यों नहीं है, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। .... यह कहना गलत है कि मैंने थानाध्यक्ष के दबाव में मुकदमा एन्टीडेट या एन्टीटाईम पंजीकृत किया हो।''

28. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 17.09.2014 को थानाध्यक्ष अरूण कुमार त्यागी मय हमराहियान अन्य पुलिस कर्मचारीगण सुरागरसी, पतारसी में व्यस्त थे, तब समय करीब 16 बजकर 10 मिनट बिजोपुरा पुलिया पर मुखबिर खास द्वारा उन्हें सूचना दी गयी कि पेट्रोल पम्प लूटने वाले अभियुक्तगण मोटरसाईकिल से छपार की तरफ से आ रहे हैं। तभी मोटरसाईकिल पर तीन लडके आते हुए दिखायी दिए, जिन्हें रूकने का इशारा करने पर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे अभियुक्त ने तमंचे से जान से मारने की नीयत से पुलिसपार्टी पर फायर कर दिया, जिससे पुलिस कर्मचारीगण बाल–बाल बच गए तथा पुलिसपार्टी द्वारा अभियुक्तगण को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनकी जामातलाशी से .... बरामद हुए।

29. इस प्रकार अभियोजन कथानक के अनुसार तीनों अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नीयत से

हमला किया गया तथा तीनों अभियुक्तगण को मय हथियारों के मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियोजन ने अपने उक्त कथानक के समर्थन में पुलिसपार्टी में शामिल पुलिस कर्मचारीगण को साक्षी पी.डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–2, पी.डब्ल्यू–4 एवं पी.डब्ल्यू–5 के रूप में परीक्षित कराया है। अभियोजन के अनुसार उक्त चारों साक्षीगण घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं। तथ्य के साक्षीगण के रूप में अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत घ टना को साबित करने के लिए अभियोजन ने तथ्य के जिन साक्षीगण को परीक्षित कराया है, वे सभी पुलिस कर्मचारीगण हैं तथा जनता के किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। पुलिस साक्षीगण के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **प्रमोद कुमार बनाम दिल्ली राज्य ए.आई.आर. 2013 एस. सी. 3344** में यह अवधारित किया गया है कि मात्र पुलिस के गवाहों के आधार पर भी अभियोजन कथानक को साबित माना जा सकता है, परंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि पुलिस के साक्षी विश्वसनीय हों।

30. अतः सर्वप्रथम न्यायालय को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए तथ्य के साक्षीगण द्वारा दी गयी साक्ष्य की समीक्षा से यह देखना होगा कि उपरोक्त साक्षीगण विश्वसनीय हैं अथवा नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम घटनाक्रम को देखें, तो अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 17.09.2014 को समय करीब 16.10 बजे अर्थात् शाम के 4 बजकर 10 मिनट पर बिजोपुरा पुलिया पर होनी बतायी गयी है। साक्षी पी.डब्ल्यू–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि घ टनास्थल पर अत्यधिक वाहन चलते रहते हैं। पैदल व साईकिलों पर भी काफी आदमी चलते हैं, जिस समय मुलजिमान को पकड़ा था, उस समय वाहन व पैदल भी लोग आ–जा रहे थे। प्रश्नगत घटनास्थल भीड़भाड़ वाली जगह के तथ्य की पुष्टि साक्षीगण पी.डब्ल्यू–2, पी.डब्ल्यू–4 एवं पी.डब्ल्यू–5 द्वारा भी की गयी है।

31. इस प्रकार घटनास्थल पर लोगों की आवाजाही होने के बावजूद भी अभियोजन ने तथ्य के साक्षी के रूप में जनता के किसी व्यक्ति को परीक्षित नहीं कराया है तथा साक्षी पी.डब्ल्यू–1 के द्वारा इस संबंध में यह कथन किया गया है कि ''हमने पब्लिक के गवाह को गवाही हेतु कहा था, तो कोई भी व्यक्ति भलाई बुराई व यात्रा में व्यवधान की वजह से तैयार नहीं हुआ। पब्लिक के व्यक्तियों के नाम पते पूछने का प्रयास किया था, किन्तु उन्होंने बताए नहीं थे। इस बात का इंद्राज मैंने फर्द में नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, मैं इसकी वजह नहीं बता

सकता।'' इस प्रकार साक्षी पी.डब्ल्यू–1 के अनुसार उनके द्वारा जनता के व्यक्तियों को गवाही हेतु कहा गया था, परंतु कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताए चला गया। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 को देखें, तो परिलक्षित होता है कि घटना के समय घटनास्थल पर जनता के व्यक्तियों के मौजूद होने तथा पुलिस कर्मचारीगण द्वारा उन्हें गवाही के लिए कहे जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई इन्द्राज उक्त प्रपत्र में नहीं है। अतः जनता के गवाहान फराहम किए जाने के संबंध में साक्षी पी.डब्ल्यू–1 द्वारा जो कथन किए जा रहे हैं, उनकी पुष्टि प्रलेखीय साक्ष्य फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 से भी नहीं हो रही है। अतः यह स्थापित नहीं होता है कि संबंधित पुलिस कर्मचारीगण के द्वारा जनता के गवाहान को गवाही हेतु तैयार करने का प्रयास किया गया।

32. अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर किया गया तथा साक्षी पी.डब्ल्यू–1 के द्वारा घटना के दौरान अभियुक्तगण द्वारा दो फायर किए जाने का कथन किया गया है, परंतु अभियुक्तगण द्वारा किए गए फायर से न तो कोई पुलिस कर्मचारी घायल हुआ और न ही किसी जनता के किसी व्यक्ति को कोई चोट आयी है। जबकि साक्षी पी.डब्ल्यू–1 के अनुसार घटना के समय मौके पर साईकिल व पैदल आने–जाने वाले काफी लोग मौजूद थे तथा घटनास्थल पर काफी व्यक्तियों की आवाजाही हर समय रहती है। यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्तगण द्वारा किए गए फायर से कोई चोट जनता के व्यक्ति या किसी पुलिस कर्मी को नहीं लगी, तब भी पुलिस को घटनास्थल से खोखा कारतूस आदि अवश्य मिलना चाहिए था। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्तगण द्वारा किए गए फायर पुलिस जीप अथवा अन्य किसी वस्तु में जाकर लगी, ऐसे कोई चिन्ह भी मौके मुआयने में प्रश्नगत घटनास्थल पर मिलने नहीं पाए गए हैं।

33. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक मामले में स्वतंत्र गवाह का होना आवश्यक नहीं है। यह सही है कि आपराधिक विधि शास्त्र का ऐसा कोई नियम नहीं है कि दोषसिद्धि के लिए प्रत्येक मामले में स्वतंत्र गवाह का होना आवश्यक हो, लेकिन जहां पर अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए तथ्य के साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास हो, साक्षीगण द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन किया गया हो, वहां पर

किसी स्वतंत्र साक्षी का न होना संदेह अवश्य पैदा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम पुलिसपार्टी के घटनास्थल पर मौजूदगी के बिन्दु पर विचार करें, तो अभियोजन कथानक के अनुसार घटना वाले दिन पुलिसपार्टी सुरागरसी, पतारसी में मामूर थी, जब उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी तथा मुखबिर की सूचना पर उनके उनके द्वारा अभियुक्तगण की मोटरसाइकिल को रूकने का इशारा किया गया। साक्षी पी.डब्ल्यू—1 के रूप में मुख्यपरीक्षा में किए गए कथन व फर्द बरामदगी प्रदर्श क—1 के अनुसार, पुलिसपार्टी घटना वाले दिन समय 14 बजकर 45 मिनट पर रवाना हुई है तथा 16 बजकर 10 मिनट पर फर्द बरामदगी में दर्शाए गए घटनास्थल बिजोपुरा पुलिया पर पहुंचना बताया गया है। साक्षी पी. डब्ल्यू—1 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि ''पुलिया पर हम डेढ़ घण्टा रूके थे, अज खुद कहा कि दो घण्टा रूके थे। पुलिया पर हमें मुखबिर व क्राइम ब्रांच के दो सिपाही जितेन्द्र व सोनू कुमार मिले थे, जो मुजफ्फरनगर की तरफ से आए थे, फिर हमारे साथ ही रहे। पहले हमें मुखबिर ही मिला था।'' इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम साक्षी पी.डब्ल्यू—2 द्वारा दी गयी साक्ष्य को देखें, तो उसके अनुसार घटना वाले दिन वे लोग थाने से लगभग चार साढ़े चार बजे चले थे तथा बिजोपुरा पुलिया पर 5.00 बजे पहुंच गए थे। वे बिजोपुरा पुलिया पर 15—20 मिनट रूके थे। घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा फायर किए जाने के संबंध में फर्द बरामदगी प्रदर्श क—1 में यह अंकित किया गया है कि ''मोटरसाईकिल को हमराहियान पुलिसबल की मदद से रोकने का प्रयास किया, तो पीछे बैठे बदमाश ने हम पुलिसवालों को जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे हम लोग बाल—बाल बच गए। इस प्रकार फर्द बरामदगी में एक अभियुक्त के द्वारा एक फायर किया जाना बताया गया है। जबकि साक्षी पी.डब्ल्यू—1 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि मुलजिमान ने दो फायर किए थे। साक्षी पी.डब्ल्यू—1 ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि यह कहना भी सही है कि मैं मुलजिमान द्वारा दो फायर पुलिस बल पर करने वाली बात आज पहली बार न्यायालय में बता रहा हूँ। यह कहना भी सही है कि मुलजिमान द्वारा पुलिसपार्टी पर फायर करने वाली बात फर्द बरामदगी में नहीं लिखी है। इस संबंध में साक्षी पी.डब्ल्यू—2 के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि ''लगभग साढ़े पांच छह बजे रूड़की की तरफ से तीन आदमी बाईक पर आए। हमने इनको रोक लिया था तथा रोककर तलाशी ली थी। उक्त साक्षी ने पूछे

जाने पर स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटनास्थल पर कोई फायर नहीं हुआ था। साक्षी पी.डब्ल्यू—5 के द्वारा इस संबंध में यह कथन किया गया है कि ''घटनास्थल पर एक फायर हुआ था। फायर किसके द्वारा किया गया था, मुझे नहीं पता।''

34. इस प्रकार साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि फायर किस अभियुक्त के द्वारा किया गया तथा घटना के समय कितने फायर हुए, इस संबंध में भी साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास है तथा उनके कथन प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क—1 से भी पुष्ट नहीं हो रहे हैं।

35. घटना के समय अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में साक्षी पी. डब्ल्यू—2 के द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण रूड़की की तरफ से बाईक पर आए, उनको पुलिसपार्टी ने रोक लिया तथा रोककर तलाशी ली। साक्षी पी.डब्ल्यू—4 के द्वारा इस संबंध में यह कथन किया है कि मुलजिमानों ने पुलिया से भागने का प्रयास अलग—अलग दिशा में किया था। मुलजिमान खेतों की तरफ या रोड़ की तरफ भाग रहे थे। इस बात की कोई जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस भी तीनों मुलजिमानों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे थे। कौन सा पुलिस वाला कौन से मुलजिम के पीछे भागा था, मुझे नहीं पता। किस—किस पुलिस वाले ने किस—किस मुलजिम को पकड़ा था, मैं नहीं बता सकता। भागते हुए मुलजिमान को घटनास्थल से कितनी दूरी पर गिरफ्तार किया, मुझे जानकारी नहीं है। साक्षी पी.डब्ल्यू—5 के द्वारा इस संबंध में यह कथन किया गया है कि मोटरसाइकिल सामने आते ही हमने अपनी गाड़ी रोक दी थी। हमने अपनी गाड़ी सड़क पर रोकी थी, मुलजिमान तभी हमारे पास आ गए थे। हमारे द्वारा इशारा करने पर उन्होंने मोटरसाईकिल रोक दी थी। मुलजिमान ने मोटरसाइकिल से उतरकर भागना शुरू कर दिया था। तीनों मुलजिमान किस तरफ भागे थे, मैं नहीं बता सकता। अलग—अलग भाग या एक साथ भागे, मैं नहीं बता सकता। मुलजिमान सड़क से भाग या खेतों से भागे मेरे याद नहीं है। मुलजिमान को हमने 100 मी0 की दूरी पर पकड़ लिया था। मुलजिमानों को किस दिशा से गिरफ्तार किया था, मुझे जानकारी नहीं है।

36. इस प्रकार अभियुक्तगण को रूकने का इशारा करने पर घटनाक्रम किस प्रकार से आगे बढ़ा, इस संबंध में भी साक्षी के कथनों में परस्पर विरोधाभास परिलक्षित हो रहाहै। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि तथ्य के

साक्षीगण यह बताने में भी असफल रहे हैं कि कौन–सा मुलजिम मोटरसाइकिल चला रहा था और कौन–कौन अभियुक्तगण उसके पीछे बैठे हुए थे। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में इस बात का कोई इन्द्राज नहीं किया गया है तथा बचाव पक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से इस सबंध में पूछे जाने पर तथ्य के सभी साक्षीगण ने अनभिज्ञता जाहिर की है।

37. अब यदि अभियुक्तगण की जामातलाशी से बरामद असलाह के बिन्दु पर विचार करें, तो फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियुक्त संजीव के हाथ से तमंचा व पहनी पैंट की जेब से दो कारतूस, अभियुक्त सुमित की बायें सुड्डे से तमंचा व दो अदद कारतूस तथा अभियुक्त नीशू के पास से एक छुरी लोहे की बरामद होना बताया गया है। इस संबंध में साक्षी पी.डब्ल्यू–2 के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि ''अभियुक्त सुमित के सुड्डे से कोई कट्टा बरामद नहीं हुआ था। यदि दरोगा जी ने मेरे बयान में सुमित के सुड्डे से कट्टा बरामद होना लिखा है, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। अभियुक्त संदीप के किस हाथ से कट्टा बरामद हुआ था, इस बात का कोई उल्लेख मैंने फर्द बरामदगी में नहीं किया है, क्यों नहीं किया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। अभियुक्त नीशू से चाकू बरामद किया था, जो कि दो बालिस्त के आसपास था।

38. फर्द बरामदगी की प्रतियां अभियुक्तगण को दिए जाने के संबंध में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में यह अंकित किया गया है कि फर्द की नकल अलग–अलग अभियुक्तों को देकर हस्ताक्षर बनवाए गए। परंतु साक्षी पी.डब्ल्यू–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि फर्द दो प्रतियों में कार्बन लगाकर तैयार की थी व फर्द की एक नकल अभियुक्त को दी थी, किस अभियुक्त को दी थी, वह यह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी पी.डब्ल्यू–1 फर्द को दो प्रतियों में तैयार करना बता रहा है, जबकि फर्द प्रदर्श क–1 में तीनों अभियुक्तगण को फर्द की प्रतियां दिए जाने का इन्द्राज है।

39. इस प्रकार अभियोजन ने घटनाक्रम के संबंध में जिन पुलिस कर्मचारीगण को तथ्य के साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, उनके द्वारा दी गयी साक्ष्य में घटना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में गंभीर विरोधाभास मौजूद हैं तथा साक्षीगण द्वारा किए गए कथनों की पुष्टि प्रलेखीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है। जनता के गवाहान की उपस्थिति होने के पश्चात् भी उन्हें परीक्षित न कराए

जाने का तथ्य भी अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न करता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अपना केस संदेह से परे साबित करने में असफ रहा है कि दिनांक 17.09.2014 को अभियुक्तगण के द्वारा पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया है। अभियुक्तगण पर लगे आरोप अंतर्गत धारा–307/34 भा.दं.सं. स्थापित नहीं हो रहे हैं।

40. इसके अतिरिक्त, अभियुक्तगण सुमित पर धारा–25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त नीशू पर धारा–25/4 आयुध अधिनियम का भी आरोप है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम अभियोजन साक्ष्य को देखें तो फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के अनुसार, प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया जाना तथा पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर अभियुक्त संदीप के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस व दो अदद जिंदा कारतूस, अभियुक्त सुमित के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिंदा कारतूस तथा अभियुक्त नीशू के कब्जे से एक अदद छुरी लोहा बरामद हुए हैं। इस संबंध में पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा एवं चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि ''अभियुक्त नीशू से चाकू बरामद किया गया था जो कि दो बालिस्त के आसपास था। .... अभियुक्त नीशू से चाकू हाथ से बरामद हुआ था या जेब से बरामद हुआ था, मेरे याद नहीं है। चाकू का बैंटा एल्यूमीनियम का था और फल लोहे का था, यह चाकू खटके वाला था। इस प्रकार फर्द बरामदगी में अभियुक्त के कब्जे से एक अदद छुरी लोहा बरामद होना उल्लिखित किया गया है, जबकि उपरोक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अभियुक्त नीशू के कब्जे से एल्यूमीनियम के बैंटा व खटके वाला चाकू बरामद होना कहा है। फर्द बरामदगी के साक्षी पी.डब्ल्यू–4 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त नीशू के कब्जे से चाकू बरामद होने का कथन करते हुए, यह भी कथन किया है कि ''चाकू का नाप क्या था, मैं नहीं कह सकता। चाकू खटके वाला था या सादा था, मुझे नहीं पता।'' इस प्रकार उपरोक्तानुसार अभियुक्त नीशू के संबंध में यह संदेहास्पद हो जाता है कि अभियुक्त के कब्जे से छुरी बरामद हुई थी अथवा खटके वाला चाकू बरामद हुआ था। इसके अतिरिक्त बरामदगी का कोई जनता का गवाह भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि तथ्य के साक्षीगण के अनुसार घटना के समय मौके पर काफी लोगों का आना–जाना था। फर्द की नकल अभियुक्तगण को दिए जाने का तथ्य भी अभियोजन कथानक को स्थापित

करने में असफल रहा है। अतः फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियुक्त नीशू के कब्जे से दर्शायी उपरोक्त बरामदगी संदिग्ध हो जाती है।

41. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फर्द बरामदगी में अभियुक्त सुमित के कब्जे से असलाह बरामद होना तथा बरामदशुदा असलाह की बाबत उसके पास कोई अनुज्ञा–पत्र नहीं होना दर्शाया गया है। अवैध तमंचा एवं जिंदा कारतूस के संबंध में अभियोग चलाए जाने के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क–7 के परिशीलन से विदित होता है कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग चलाए जाने की स्वीकृति दी गयी है। संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त से कथित रूप से बरामदशुदा आग्नेयास्त्र को खोलकर देखा हो तथा उसे खोलने व देखने के उपरांत दुबारा सील कराया गया हो, ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है, जबकि नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा असलाह व कारतूसों की जांच करके अनुमति दिए जाने का प्राविधान है। प्राप्त अनुमति–पत्र एवं संबंधित प्रपत्रों के परिशीलन से यह परिलक्षित नहीं होता है कि अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना दर्शाए गए आग्नेयास्त्र व कारतूसों को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच किया जाकर पुनः सीलबंद किया गया हो। उक्त असलाह बरामदगी के साक्षी पी. डब्ल्यू–5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''यह कहना सही है कि कपड़ा पुलिंदा पर कहीं पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। यह कहना भी सही है कि कपड़ा पुलिंदा पर नीशू अभियुक्त के हस्ताक्षर भी नहीं है। पुलिंदा तमंचा पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। यह कहना भी सही है कि पुलिंदा तमंचा पर किसी भी अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह कहना सही हे कि तमंचा अभियुक्त सुमित से बरामद होना बताया है, किन्तु पुलिंदा पर सुमित के हस्ताक्षर नहीं हैं।'' इस प्रकार उक्त साक्षी फर्द बरामदगी का साक्षी है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण से कथित रूप से बरामद होना दर्शाए गए असलाह एवं कपड़ा पुलिंदों पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर होने से इंकार किया गया है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के साक्षी वादी मुकदमा पी.डब्ल्यू–1 द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि ''यह कहना सही है कि रूड़की रोड़ एन.एच. है, इस पर अत्यधिक वाहन चलते हैं और पैदल व साईकिलों पेभी काफी आदमी चलते हैं। जिस समय मुलजिमान को पकड़ाथा, उस समय वाहन व पैदल भी लोग आ–जा रहे थे। इस प्रकार उक्त पुलिस साक्षी के बयान के आधार पर कथित घटनास्थल व्यस्तम रोड़ होने पर वहां लोगों के

आने–जाने के बावजूद भी पुलिसकर्मियों द्वारा अभियुक्त की कथित घटनास्थल पर तलाशी, गिरफ्तारी व हथियार बरामदगी के संबंध में जनता के किसी भी स्वतंत्र साक्षी को उक्त कार्यवाही/प्रक्रिया में शामिल न किया जाना या फायर के शोर पर जनता का गवाह नहीं आना पाया जाता है, जबकि कथित घटनास्थल सार्वजनिक स्थान/मार्ग के पास का दर्शित किया गया है।

42. **चितबंत बनाम पंजाब राज्य ए.सी.सी. 1999 (38) पेज–305** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि फर्द बरामदगी पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर न होना, जबकि स्वतंत्र लोगों का अवागमन था तो यह तथ्य भी अभियोजन कथानक पर संदेह करने का आधार पर्याप्त है। माननीय न्यायालय द्वारा **रामेश्वर बनाम राज्य ए.सी.सी. 1994 (31) पेज–327** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां अभियुक्त से बरामद हथियार की संस्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट से यांत्रिक रूप से प्रदान की गयी हो तो यह बरामदगी को संदिग्ध बनाता है।

43. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण सुमित एवं नीशू के कब्जे से अवैध हथियार की बरामदगी होना दर्शित किया गया है, परंतु विवेचक के द्वारा घटनास्थल पर बरामदगी के समय स्वतंत्र साक्षीगण को गवाह बनाने का प्रयास किया गया हो, ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियोजन अभियुक्तगण सुमित के कब्जे से बरामद होने बताए गए आग्नेयास्त्र एवं अभियुक्त नीशू के कब्जे से बरामद होने बताए गए चाकू/छुरी की बरामदगी को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

44. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक, प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य की समीक्षा से परिलक्षित होता है कि पत्रावली पर ऐसी सीधी साक्ष्य मौजूद नहीं है, जो कि घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता को संदेह से परे स्थापित करती हो। ऐसा कोई प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य भी सामने नहीं आया है, जो कि अभियुक्तगण की भूमिका, प्रश्नगत घटना में दर्शाता हो। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक, प्रलेखीय व भौतिक साक्ष्य की समीक्षा से, अभियुक्तगण पर लगे आरोप संदेह से परे स्थापित नहीं हो रहे हैं।

45. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य क्रिमिनल अपील नं0 902/2023 निर्णीत दिनांकित 24.01.2024** में दाण्डिक विधि शास्त्र के इस सुस्थापित सिद्धान्त को दोहराया है कि, "संदेह

कितना भी पुख्ता क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता।" इसके अतिरिक्त **पंकज बनाम राजस्थान राज्य 2016 (3) सी.सी.एस.सी. 1665 (एस.सी.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि, ''जब अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों/साक्ष्य में न तो गुणवत्ता है, न ही विश्वसनीयता है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं।''

46. इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य/सामग्री के विश्लेषण/मूल्यांकन से एवं माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय, भरोसेमंद, स्पष्ट, उत्कृष्ट गुणवत्ता के होना नहीं पाए गए हैं। अभियुक्तगण द्वारा पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करना, अभियुक्त सुमित के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो जिंदा कारतूस तथा अभियुक्त नीशू के कब्जे से एक अदद नाजायज छुरी बरामद होना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है।

47. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण सुमित एवं नीशू के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–307 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्त सुमित के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त नीशू के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारपा–25/4 आयुध अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, तद्नुसार अभियुक्तगण लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–191 सन् 2015, 'उ.प्र. राज्य बनाम सुमित आदि' संबंधित मुकदमा अपराध संख्या–384 सन् 2014, थाना–छपार, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण सुमित एवं नीशू को धारा–307 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत लगाए गए आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या–193 सन् 2015, 'उ.प्र. राज्य बनाम सुमित' संबंधित मुकदमा अपराध संख्या–386 सन् 2014, थाना–छपार, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में अभियुक्त सुमित को धारा–25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या–194 सन् 2015, 'उ.प्र. राज्य बनाम नीशू' संबंधित मुकदमा अपराध संख्या–387 सन् 2014, थाना–छपार, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में अभियुक्त नीशू को धारा–25/4 आयुध अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण सुमित एवं नीशू उपरोक्त प्रकरणों में जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अनुपालन में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपए का एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभूगण दाखिल किए जाएं, जो निर्णय की तिथि से 06 माह की अवधि तक अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रभावी रहेंगे।

उक्त निर्णय की एक–एक प्रतियां एस0टी0 सं0–193 सन् 2015, 'उ.प्र. राज्य बनाम सुमित' एवं एस0टी0 सं0–194 सन् 2015 'उ.प्र. राज्य बनाम नीशू' की पत्रावलियों पर रखी जाएं।

सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात उपरोक्त सत्र परीक्षणीय वाद की पत्रावली अभिलेखागार संचित होवे।

दिनांक :–25.08.2026 **(गरिमा सिंह–I)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर, सुनाया गया।

दिनांक :–25.08.2026 **(गरिमा सिंह–I)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।